

डिकी बमूकदमें इबतदाई

(आदेश 20 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-लुणसरा

मु०न० 189/2017

राजस्व लोक अदालत अधिनियम
न्याय आपके द्वार-2013

गण-

1. प्रहलादराम पुत्र भंवरूराम
2. गरीबराम पुत्र भंवरूराम
3. चमु पुत्री भंवरूराम पत्नी रामकिशोर
4. मांडु पुत्री भंवरूराम पत्नी मनमोहन जातियान जाट निवासीगण लुणसरा तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

वादीगण-

1. झणकारी पत्नी मांगीलाल
2. सीताराम पुत्र मांगीलाल
3. भुराराम पुत्र मांगीलाल
4. भीखाराम पुत्र मांगीलाल
5. करणाशंकर पुत्र मांगीलाल
6. चम्पा देवी पुत्र मांगीलाल जातियान जाट निवासीगण लुणसरा तहसील जायल ,नागौर।
7. रामविलास पुत्र जालाराम
8. मेहराम पुत्र रामकरण
9. हरीराम पुत्र रामकरण
10. सीताराम पुत्र श्रीराम
11. गोरधन पुत्र श्रीराम जातियान जाट निवासीगण लुणसरा तहसील जायल जिला नागौर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-01.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति में
कम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-
वादी संख्या 1 से 4 के सामलाती हक बंट में मौजा लुणसरा का खेत ख नं 328 रकबा 9.09 बीघा में से 09.08
बीघा व ख नं 1829/328 रकबा 9.10 बीघा रखा जाकर सहखातेदार घोषित किया जाता है।
प्रतिवादी संख्या 3 व 5 के सामलाती हक बंट में मौजा लुणसरा का खेत ख नं 331 रकबा 13.08 बीघा रखा
जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते है।
प्रतिवादी संख्या 1,2,4,6 व 7 से 11 के सामलाती हक बंट में मौजा लुणसरा का खेत ख नं 328 रकबा 09.09
बीघा में से 0.01 बीघा रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख तारीख वसूल योगो तक
x को अदा करें व बसीख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 01.06.2018 को जारी किया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

मुद्दे	रूपये	रिजिस्ट्रार के मुकाम पर	रिजिस्ट्रार के मुकाम पर	रूपये
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प यजह सावूत मेहनताना वकील खर्चा यवाहन फीस कमीन्टर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिफ		जायल (नागौर)	स्टाम्प कालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीन्टर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिफ	

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चार्ज डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही करना चाहिये।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर